

कार्यालय उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट, त0 बेल्थरा रोड, जनपद-बलिया

पत्रांक- ११०/२५/२०२०/१०६१

दिनांक: ०६/०३/२०२०

राम प्रेम अध्यक्ष माँ दुखनी चौधरी शिक्षण एवं सेवा संस्थान के आवेदन पत्र पर राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की आख्या नागी गयी। आख्या के अनुसार अ0नं0 608 रकबा 0.303 हे0 भू-अभिलेख में माँ दुखनी चौधरी शिक्षण एवं सेवा संस्थान के नाम अंकित है तथा उपजिलाधिकारी तहसील-बेल्थरा रोड, बलिया द्वारा वाद संख्या 21/30.03.2013 धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है। आराजी नं0 781 रकबा 0.202 हे0 भू-अभिलेख में रामा सिंह पुत्र स्व0 साहन सिंह के नाम अंकित है तथा उपजिलाधिकारी तहसील-बेल्थरा रोड, बलिया द्वारा वाद संख्या 18/01.05.2015 धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है। तथा अ0नं0 85 रकबा 0.125 हे0, अ0नं0 613 रकबा 0.227 हे0, अ0नं0 56 रकबा 0.125 हे0 भू-अभिलेख में कैलाश नाथ यादव व राजेन्द्र यादव पुत्रगण स्व0 चौधरी यादव के नाम दर्ज है तथा उपजिलाधिकारी तहसील-बेल्थरा रोड, बलिया द्वारा वाद संख्या 17/01.05.2015 धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है। अ0नं0 147 रकबा 0.475 हे0, अ0नं0 59 रकबा 0.138 हे0, अ0नं0 52 रकबा 0.101 हे0 कैलाश नाथ यादव व राजेन्द्र यादव पुत्रगण स्व0 चौधरी यादव के नाम दर्ज है तथा उपजिलाधिकारी तहसील-बेल्थरा रोड, बलिया द्वारा वाद संख्या 16/01.05.2015 धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है।

उक्त अ0नं0 पर भवन निर्मित है इस भूखण्ड का प्रयोग शिक्षण कार्य हेतु किया जा रहा है। अतः उक्त अ0नं0 का भू-प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न शैक्षिक कार्य के प्रयोजनार्थ है।

उपजिलाधिकारी
तहसील-बेल्थरा रोड,
बलिया

